न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 421/17 (RCMS No. 2017/00447) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. कैलाश
2. बजरंगा

पिसरान स्व0 वंशी जाति माली निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंगी पुत्री वंशी पत्नि रामप्रसाद जाति माली निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. मन्नो पुत्री वंशी पत्नि सत्यनारायण जाति माली निवासी मदेरडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. विमला पुत्री वंशी पत्नि जगदीश जाति माली निवासी ग्राम पॉचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. तहसीलदार सवाई माधोपुर

..... असल रैस्पो0

5. घीसो पत्नि स्व0 प्रहलाद
6. ओमप्रकाश
7. मुकेश
8. बदरी
9. सूरज
10. कौशल
11. नारायण

पिसरान प्रहलाद जाति माली निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 07.06.2017 एवं नामा0 सं0 1089 दिनांक 26.05.89 वॉके ग्राम आलनपुर

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद अग्रवाल वकील अपीलान्ट
2. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील रैस्पो0

नि र्ण य **दिनांकः—22.03.2018**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 07.06.17 एवं नायव तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पारित आदेश नामा0 संख्या 1089 दिनांक 26.05.89 वॉके ग्राम आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वंशी के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण सं0 1089 नायव तहसीलदार सवाई माधोपुर ने बजरंगा, प्रहलाद व कैलाश पिसरान वंशी व किस्तूरी वेवा बंशी माली के नाम दिनांक 26.05.89 को दर्ज किया। इस आदेश के विरूद्ध बजरंगी, मन्नी व विमला पुत्रियान ने विवादित आराजी में अपना अधिकार मानते हुऐ जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर यह माना कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मृतक वंशी के विधिक वारिसान की पूर्ण रूप से जॉच नही की है। जबकि उसकी पुत्रियॉ भी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि मृतक वंशी पुत्र पन्ना जाति माली निवासी आलनपुर के विधिक वारिसान की पुनः जॉच कर मृतक के विधिक वारिसान के नाम नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज फैसल करें। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्धान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में 17 साल बाद अपील पेश की है, जो मियाद बाहर थी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जबाब भी पेश किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मियाद को माफ करने बाबत् कुछ नही लिखा है जो कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका तर्क है कि असल रैस्पो0 ने उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में दावा दायर कर रखा है जो आज दिनांक तक विचाराधीन है। नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुऐ दाखिल खारिज की कार्यवाही को रोक देना चाहिये। उनका तर्क है कि नामा0 में दर्ज आराजी में से जमीन का कुछ हिस्सा अन्य लोगों को बेचा जा चुका है और इस आराजी का बाबत् कुछ दान पत्र भी निष्पादित किये गये है। रैस्पो0 को इस तथ्य की बखूबी जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय को भी अवगत कराया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है। असल रैस्पो0 को प्रथम दिवस से ही इस नामा0 की जानकारी थी। रैस्पो0 सं0 1 सवाई माधोपुर में अपीलान्ट के घर के पास ही रहती थी एवं उसके पति के खेत व अपीलान्ट के खेत पास पास ही है। रैस्पो0 ने जानबूझकर तरतीवी रैस्पो0 ने इस प्रकरण में कोई पैरोकारी नही की है। उनका यह भी तर्क है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में पुत्रियों को पिता की आराजी में कोई अधिकार नही थे। वर्ष 2006 के संशोधन के बाद पुत्रियों को अधिकार प्राप्त हुऐ हैं जिनका भूतलच्क्षी प्रभाव नही है। उनका तर्क है कि दावा उनवानी बजरंगी वगैरहा बनाम बजरंगा में धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.15 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं नामा0 दिनांक 26.05.89 बहाल रखा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी का खातेदार बंशी था। बंशी के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1089 नायव तहसीलदार सवाई माधोपुर ने दिनांक 26.05.89 को बंशी के वारिसान बजरंगा, प्रलाद व कैलाश के नाम दर्ज किया था। परन्तु उसमें बंशी की लड़कियों का नाम दर्ज नही किया गया था जबकि बंशी की जायज वारिसान उसकी पुत्रियॉ भी थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भाईयों व माता के साथ रैस्पो0 बहिनों का भी समान बराबर का अधिकार है। नायव तहसीलदार ने उत्तराधिकार की जॉच किये बिना ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया था जो कानून के विरूद्ध है। अपीलान्ट ने साज करके नामान्तरकरण दर्ज कराया था। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकार की जॉच कर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये हैं जिसमें अपीलान्ट को कोई एतराज नही होना चाहिये। उनका यह भी तर्क है कि नायव तहसीलदार का निर्णय विधि विरूद्ध था। ऐसे आदेशों के विरूद्ध कभी भी अपील पेश की जा सकती है। ऐसे आदेशों के लिये कोई मियाद नही होती है। अपीलान्ट का यह कथन भी उचित नही है कि हिन्दु उत्तराधिकार के तहत लड़कियों को विरासत में कोई अधिकार नही है। जबकि पिता की आराजी में पुत्र के साथ पुत्रियों का भी समान अधिकार होता है। उनका तर्क है कि रैस्पो0 ने पहले नामान्तरकरण की अपील पेश की थी बाद में दावा पेश किया है। अपीलान्ट का यह तर्क गलत है कि इनका दावा पूर्व से चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने जॉच कर पुनः नामा0 दर्ज करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी का बंशी पुत्र पन्ना खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड था। बंशी के फौत होने पर उसकी विरासत बजरंगा, प्रहलाद कैलाश पिसरान बंशी एवं किस्तूरी वेवा बंशी माली बहिस्सा बराबर के नाम नामान्तरकरण संख्या 1089 नायव तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दर्ज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध बंशी की पुत्रियों ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः नामा0 दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट का कथन है कि विरासत में पुत्रियों को अधिकार नही था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2006 में संशोधन किया गया है जिसमें पुत्रियों को अधिकार दिये गये हैं। इसलिये पुत्रियों को पूर्व में अधिकार नही था। परन्तु अपीलान्ट ने ऐसा कोई कानून व साक्ष्य पेश नही की है। रैस्पो0 अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः जॉच कर मृतक के विधिक वारिसान के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। जिसमें अपीलान्ट को कोई एतराज नही होना चाहिये। हम रैस्पो0 के इस तर्क से सहमत हैं। यदि अधीनस्थ न्यायालय की जॉच में बंशी की कानूनी वारिसान लड़कियों का माना जाता है तो ही उनके नाम नामान्तरकरण में विरासतन दर्ज किये जायेंगे। अपीलान्ट का कथन है कि असल रैस्पो0 ने उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में दावा दायर कर रखा है जो आज दिनांक तक विचाराधीन है। नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुऐ दाखिल खारिज की कार्यवाही को रोक देना चाहिये। अपीलान्ट का यह कथन उचित नही है। रैस्पो0 ने पहले नामान्तरकरण की अपील पेश की है। दावा बाद में पेश किया है। यह सही है कि नामान्तरकरण की

संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद व उत्तराधिकार के जटिल बिन्दुओं का विनिश्च नही किया जा सकता है। परन्तु नामान्तरकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है न कि न्यायिक अर्थात इससे यह तय हो जाता है कि कौन कृषक भूमि का लगान देगा। इसलिये नामान्तरकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना भी आवश्यक होता है। उक्त प्रकरण में विरासतन मृतक के सभी जायज वारिसान की जॉच कर विधिक वारिसान के पक्ष में ही नामान्तरकरण दर्ज किया जाना है। मृतक बंशी की तीन पुत्रियॉ बजरंगी, मन्नी व विमला भी है जो मृतक की जायज पुत्रियॉ हैं। नायव तहसीलदार ने मृतक के विधिक वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण दर्ज नही किया था। इसलिये अधीनस्थ न्यायलाय ने विधिक वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही के लिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.06.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official